of Mand-Raigarh, Korba, Sohagpur and Tatapani-Ramkola coalfields. Regional exploration in these coalfields is still inprogress.

श्रमिक सहकारी समितियां

830. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बन्द पड़े औद्योगिक उपक्रमों के अधिग्रहण के लिये देश में कितनी श्रमिक सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं; और

(ख) ऐसी समितियां स्थापित करने के प्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाए जाने के क्या कारण है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कंपनी के प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि इसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड को संदर्भित करे। कर्मकारों के सहयोग से रूग्ण औद्योगिक कंपनियों का पुनरूज्जीवन उन उपायों में से एक है जिनकी इस अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पना की गयी है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अभी तक कर्मकारों के सहयोग से जिन रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनरूज्जीवन संबंधी पांच योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, वे हैं:—

1. नई केन्द्रीय जूट मिलें
2. कमानी ट्यूब्ज*
3. पावडर मेटल्ज
4. एच०ई०एस० लि०
5. के०एम०ए० लि०

क्रम संख्या 1, 3, 4 और 5 पर वर्णित कंपनियां, जिनके लिए पुनरूज्जीवन योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी थी, कार्यान्वयनाधीन हैं।

*क्रम संख्या 2 पर वर्णित मामला जिसके लिए पहले पुनरूज्जीवन योजना की मंजूरी प्रदान की गयी थी 26-5-95 से निष्फल हो गयी है, और फिलहाल उसकी जांच चल रही है। सामान्य नीतिगत मामले के रूप में, श्रम मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों के सहयोग के माध्यम से पुनर्वास योजनाओं को प्रोत्साहित करता है।

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंध

831. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंध सुदृढ़ करने का है;

(ख) क्या सरकार नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो इस समय उन देशों के साथ किन-किन क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार संबंध बनाए जा रहे हैं;

(घ) भारत द्वारा इन देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए किन-किन नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) भारत और इसके पड़ौसी देश नामतः नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान ने अपने आपको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में संगठित कर लिया है। संगठित होने का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ या आपसी व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करना। वर्ष 1993 में एक दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार प्रबंध (साप्ता) करार पर हस्ताक्षर किए गए और इस करार के प्रथम चरण को 8.12.1995 से लागू कर दिया गया है। व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत और इसके पड़ौसी देशों द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं, वे हैं—टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना/समाप्त करना, सरकारी अभिकरणों द्वारा विपुल मात्रा में किए जाने वाले आयात संबंधी सूचना का आदान-प्रदान, परिवहन एवं पारगमन संबंधी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, इस क्षेत्र के भीतर से सदस्य देशों की आयात संबंधी अपेक्षाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उनकी मौजूदा व्यापार क्षमता को प्रदर्शित करना, सरकार और व्यापार/व्यापार संवर्धन अभिकरणों के बीच अधिक अन्तःक्रिया के लिए वीसा सुविधाओं का सरलीकरण, व्यापार स्तर पर सेमीनार और कार्यशालाओं का आयोजन और सार्क वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल द्वारा क्षेत्र के भीतर अन्तर आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ाने के प्रयास।

(ख) भारत का नेपाल और भूटान के साथ अधिमानी व्यापार समझौता है। यद्यपि भारत ने पाकिस्तान से होने वाले अपने आयातों को परममित्र राष्ट्र का दर्जा दिया है और पाकिस्तान द्वारा हमें अभी ऐसा ही दर्जा दिया जाना है, तथापि व्यापार संबंधों को सुधारने के प्रयास दोनों तरफ से चले रहे हैं। इस क्षेत्र में बांग्लादेश हमारा शीर्ष व्यापार साझीदार है और दोनों सरकारें व्यापार संबंधों को और अधिक सुधारने के लिए अन्तक्रिया कर रही हैं।

(ग) इस समय, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ भारत द्वारा जिन प्रमुख वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

देश	भारत से निर्यात	भारत द्वारा आयात
बांग्लादेश	चावल (बासमती को छोड़कर), शीशा, इनेमल्स एवं मृत्तिका, मशीनरी एवं उपकरण, परिवहन उपकरण, सूती यार्न/वस्त्र	कच्चा पटसन ज्वारक (निर्मित)
भूटान	ब्रिट एवं पेय पदार्थ, विविध प्रसंस्कृत मदें	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद, आनुषंगिक समायन
नेपाल	औषधि एवं भेषज सामग्री, मशीनरी एवं उपकरण, प्राथमिक एवं अर्ध परिष्कृत लोहा एवं इस्पात, कोयला, सूती यार्न/वस्त्र, कागज एवं काष्ठ उत्पाद।	दालें, मसाले, तम्बा, यार्न/धागा
पाकिस्तान	मसाले तेल खाद्य, लौह अयस्क, रंजक पदार्थ एवं मध्यवर्ती सामान	फल एवं गिरी तथा काजू गिरी, मसाले, कच्चा ऊन, वस्त्र यार्न/मेडिक्स।

(घ) और (ङ) पड़ौसी देशों के साथ द्विपक्षीय आधार पर एवं सार्क मंच पर व्यापार संबंधों का विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है। व्यापारियों, विद्वानों और सरकारी अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से एक त्रिपक्षीय अध्ययन दल गठित किया गया है जो सार्क क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार संबंधों के विस्तार करने के उपाय सुझाएगा।

Setting up large paper mills

832. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government had granted any licences for setting up large paper mills in 1993-94 and 1994-95; and

(b) whether adequate raw materials have been found or earmarked for these new paper mills?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Export of rice and wheat by FCI

833. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Food Corporation of India has been authorised to export or sell for export of fine and superfine rice during 1996-97;

(b) if so, details thereof with circumstances leading to such move;

(c) whether such move will be in the interest of the country?

(d) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor;

(e) whether Government have also authorised FCI to export wheat from public stocks; and

(f) if so, details thereof with benefits to be derived from such move?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) and (b) The Food Corporation of India has been authorised to export or sell for